

## अध्याय V

### कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा अधिनिर्णय प्रकिया

#### 5.1 प्रस्तावना

अधिनिर्णय केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर विभाग के अधिकारियों का अर्ध-न्यायिक कार्य है। अधिनिर्णयन के पश्चात उपयुक्त जुर्माना लगाकर यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि लागू नियमों/कानूनों/विनियमों इत्यादि के उल्लंघन द्वारा कोई राजस्व हानि न हो। तथापि यदि एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया जाता है या अपराध की प्रकृति से अधिक दण्ड दिया जाता है तो सरकार और करदाता के बीच विश्वास कमजोर होता है। यदि एक ओर एक वास्तविक अपराधी कानून द्वारा दिए एक दण्ड से बच जाता है तो यह अपराध में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करेगा जो सरकार एवं ईमानदार करदाताओं, दोनों के लिए हानिकारक होगा।

शुल्क के गैर भुगतान, कम भुगतान अथवा गलती से वापसी की मांग, गलत वर्गीकरण, गलत सेनवेट क्रेडिट लाभ लेने, जुर्माना लगाने आदि से संबंधित परिस्थितियां हो सकती हैं। यह अनिवार्य है कि कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाए, यदि विभाग निर्धारिती के प्रतिकूल कोई कार्रवाई करता है। एससीएन में उल्लंघन किए जाने वाले विशिष्ट प्रावधानों का विवरण होगा और नोटिस दिए जाने वाले व्यक्ति से कारण पूछा जाएगा कि अधिनियम/नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत क्यों न उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस प्रकार, एससीएन नोटिस प्राप्तकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देता है।


ऐसे मामले में जहां शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो, कम किया गया हो अथवा त्रुटिवश वापसी की गई हो, तो सामान्य मामले में संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर और शुल्क भुगतान की चोरी या धोखे से प्रतिदाय लेने की नीयत से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझ कर तथ्यों आदि को छुपाने के मामले में संबंधित तिथि से पांच वर्षों के भीतर एससीएन जारी किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 में यह प्रावधान है कि जहां ऐसा करना संभव हो तो व्यक्ति को नोटिस देने की तिथि से सामान्य मामले में छः महीनों के भीतर और विस्तारित अवधि मामले में एक वर्ष के भीतर, एससीएन पर निर्णय लिया जाएगा।

सामान्य न्याय के सिद्धांतों को देखते हुए न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। मामले के निर्धारण से पूर्व नोटिस प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) की जाएगी। न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात न्यायिक आदेश के औचित्य और मामले के तथ्यों का विवरण देते हुए एक लिखित मूल आदेश (ओआईओ) जारी किया जाएगा।

इस प्रकार शीघ्र कार्रवाई और अधिनिर्णय मामलों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के लिए विचार है। अधिनिर्णय की प्रक्रिया अगले पृष्ठ पर चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट 5.1: केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के तहत एससीएन एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया



## 5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था:

- क) अधिनिर्णयन प्रक्रिया से संबंधित समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों की पर्याप्तता;
- ख) क्या मौजूदा कानून के प्रावधानों का पर्याप्त रूप से पालन किया जा रहा है;
- ग) क्या एक प्रभावी निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र था।

## 5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

इस लेखापरीक्षा में हमने 40 कमिश्नरियों और इन कमिश्नरियों के तहत आने वाले 84 मंडलों और 70 रेंजो को शामिल किया। इसके अतिरिक्त हमने निपटान हेतु बकाया 1,737 अधिनिर्णयन मामलों, अधिनिर्णीत 4,816 मामलों और जारी किए जाने हेतु लंबित 320 डॉफ्ट एससीएन 2,255 कॉल बुक मामलों और अधिनिर्णय स्तर पर राजस्व के विरुद्ध निर्णीत 1,995 मामलों की जांच की। शामिल की गई अवधि 2011-12 से 2013-14 तक थी।

## 5.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने ₹ 345.75 करोड़ राजस्व वाले 809 मामलों में अनियमितताएँ देखी। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- (i) ₹ 4.40 करोड़ राजस्व वाले 20 मामलों में देर से एससीएन जारी करने के कारण अधिनिर्णयन में माँग समय-बाधित मान ली गई थी।
- (ii) ₹ 2.28 करोड़ राजस्व वाले आठ मामलों में देर से एससीएन जारी करने के कारण माँग समय बाधित हो सकती है।
- (iii) ₹ 289.67 करोड़ राजस्व वाले 196 मामले 31 मार्च 2014 को एक वर्ष से अधिक समय से अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे।
- (iv) ₹ 29.76 करोड़ राजस्व वाले 121 मामले कॉल बुक में अनुचित रूप से रखे गए थे।

आगामी पैराग्राफ में निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

## 5.5 कारण बताओ नोटिस जारी करना

### 5.5.1 कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु विस्तारित समय अवधि की मांग

केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अनुसार जहां किसी उत्पाद शुल्क की वसूली न की गई हो या कम वसूली की गई हो अथवा कम भुगतान अथवा गलती से प्रतिदाय किया गया हो तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी

संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर ऐसे व्यक्ति को उस शुल्क हेतु जिसकी वसूली न की गई हो या भुगतान न किया गया हो या जिससे कम वसूली की गई हो या कम भुगतान अथवा गलत प्रतिदाय किया गया तो उसे कारण बताना होगा कि उसे नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए, नोटिस जारी कर सकता है एक वर्ष की अवधि को पांच वर्षों तक विस्तारित कर दिया जाता है जहां कर चोरी की मंशा से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझ कर तथ्यों की गलत बयानी या छुपाव के कारण शुल्क का कम भुगतान किया गया हो।

सात कमिश्नरियों<sup>75</sup> के नमूना जांच से पता चला कि विधि के प्रतिकूल गलत आधारों पर बढ़ाई गई अवधि लागू करते हुए एससीएन जारी करने के कारण अधिनिर्णयन समय बाधित हुए। हमने ₹ 4.40 करोड़ राजस्व वाले 20 मामले देखे। मंत्रालय ने 17 मामलों में तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और तीन मामलों में उत्तर नहीं दिया। दो मामले नीचे दिए गए हैं:

**5.5.1.1** हमने राजकोट कमिश्नरी में देखा कि मै. रिलायंस इंस्ट्रीज लि. को दिनांक 21 सितम्बर 2004 को शुल्क के कम भुगतान हेतु एक एससीएन जारी किया गया था। निर्धारिती ने उत्पादन लागत की 115 प्रतिशत दर पर मूल्य मानने की बजाए तुलनात्मक वस्तुओं का मूल्य मानते हुए अपनी अंतर मंडलीय इकाईयों में कई उत्पादयोग्य वस्तुओं का स्थानान्तरण किया। निर्धारिती ने विभाग को संबंधित दिनांक 21 सितम्बर 2000 के पत्र की एक विधिवत स्वीकृत प्रति प्रस्तुत की जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि विभाग को उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की पूर्ण सूचना दी गई थी।

कमिश्नर ने ओआईओ दिनांक 04 फरवरी 2013 द्वारा उपरोक्त एससीएन पर निर्णय दिया और मांग खारिज कर दी तथा नोट किया कि, “यह दिखाता है कि जुलाई 2000 से अगस्त 2003 की अवधि के लिए शुल्क की मांग करने वाला वर्तमान एससीएन 21 सितम्बर 2004 को जारी किया गया था। इसलिए, एससीएन समय-बाधित हो गया है और सीमांकन बिन्दु के कारण जारी नहीं रखा जा सकता है”। अतः समय के भीतर एससीएन जारी न करने के कारण ₹ 1.18 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2015) और बताया कि सेसटैट में विभाग द्वारा फाइल की गई अपील भी रद्द कर दी गई थी।

<sup>75</sup> कोलकाता III, कोलकाता V, बोलपुर, शिलांग, दिल्ली I, राजकोट एवं थाणे-I

5.5.1.2 ठाणे-। कमिश्नरी में यह देखा गया कि मै. ऑकार स्पेशलिटी केमिकल्स लि. (ओएससीपीएल) की दो इकाईयों को अपने तैयार उत्पाद पोटैशियम आयोडाइड तथा सोडियम सेलेनाइड को फीड ग्रेड में गलत वर्गीकरण करके तथा शून्य दर पर हेडिंग 2309 के अध्याय के तहत वर्गीकरण करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान की चोरी करते हुए पाया गया, जबकि ये उत्पाद सही रूप से 16 प्रतिशत दर पर शुल्क लगाते हुए अध्याय 28 के तहत वर्गीकरणीय थे। डीजीसीआई, जोनल इकाई मुंबई द्वारा जारी एससीएन (मार्च 2011) के अनुसार, निर्धारिती ने 1 अप्रैल 2007 से 22 फरवरी 2010 तथा 20 जून 2009 से 13 फरवरी 2010 की अवधि के दौरान क्रमशः इकाई-। से ₹ 98.17 लाख की शुल्क चोरी करते हुए ₹ 7.71 करोड़ और इकाई-॥ से ₹ 8.45 लाख शुल्क की चोरी करते हुए ₹ 1.03 करोड़ मूल्य की उत्पादयोग्य वस्तुओं की निकासी की। तदनुसार, निर्धारिती ने उपरोक्त उत्पादों की निकासी के प्रति केंद्रीय उत्पाद शुल्क देयता के प्रति जांच के समय इकाई-। व इकाई-॥ के संबंध में क्रमशः ₹ 24.21 लाख एवं ₹ 7.35 लाख का भुगतान किया (जनवरी/फरवरी 2010)।

मै. एसएमजैडएस कैमीकल्स लिमिटेड, {2006 (1193) इएलटी 46 (ट्राई-मुंबई)} के मामले में सैसटैट मुंबई के निर्णय के आधार पर और उनके उत्पादों को समान होने का मामला पाये जाने पर, निर्धारिती ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी सहायक कमिश्नर को अग्रिम सूचना (नवम्बर 2006) जारी करने के बाद दोबारा अध्याय 23.09 के अंतर्गत उत्पादों का वर्गीकरण आरंभ कर दिया। निर्धारिती ने विभाग से सत्यापन और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभाग को तीन अनुस्मारक भी भेजे। यद्यपि, विभाग इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने में विफल रहा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नर, ठाणे-। ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए(1) के परंतुक के अंतर्गत बढ़ाई गई अवधि इस मामले में आह्वान योग्य नहीं था चूंकि इसमें तथ्यों को छुपाया नहीं गया था, ओआईओ जारी किया गया (जून 2011)। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि वास्तव में, क्योंकि कई वर्षों की सूचनाओं, संवाद, दस्तावेज और तकनीकी विवरण के साथ-साथ विनिर्माण प्रक्रिया का फ्लो चार्ट, कच्चे माल की सूची, वास्तविक उपयोक्ताओं की सूची, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इआर-। रिटर्न आदि के कारण विभाग तथ्यों से भली-भांति अवगत था और एससीएन को समय बाधित मानकर गिरा दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 75.06 लाख (जांच के दौरान निर्धारिती द्वारा अदा किया गया ₹ 31.56 लाख के उत्पाद शुल्क को छोड़कर) की सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि विभाग ने सेसटैट में एक अपील फाइल की है जिस पर निर्णय लंबित है। इसलिए, इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सरकारी राजस्व की संभावित हानि हुई है।

अतः, यदि विभाग प्रचलित विधि के अनुसार विनिर्दिष्ट समयावधि में कारण बताओ कम मांग नोटिस जारी करने में पूर्णतः सतर्क होता तो सरकारी राजकोष को संभावित हानि जिसे ऊपर दर्शाया गया है, से बचा जा सकता था।

### 5.5.2 कारण बताओ नोटिस जारी करना

एससीएन जारी करने के कारणों में से एक कारण आंतरिक लेखापरीक्षा/सेरा लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गये लेखापरीक्षा पैरा है। लेखापरीक्षा पैरा की संवीक्षा कमिश्नरी स्तर पर निगरानी समिति की बैठक में की जाती है और ये लेखापरीक्षा पैरा एससीएन के जारी करने के बाद ही हटाये जाते हैं। इस संदर्भ में, बोर्ड ने दिनांक 22 अप्रैल 2013<sup>76</sup> को निर्देश जारी किये कि लेखापरीक्षा आपत्तियां एक वर्ष के अंदर ही एससीएन जारी कर निपटाये जाने चाहिए।

छः कमिश्नरियों<sup>77</sup> की नमूना जांच से पता चला कि विधि का उल्लंघन करते हुए एससीएन के जारी न करने के परिणामस्वरूप कारण बताओ कम मांग नोटिस काल बाधित हो सकते हैं। हमने ₹ 2.28 करोड़ राजस्व वाले आठ मामले पाये। मंत्रालय का उत्तर (नवम्बर 2015) केवल दो मामले में ही प्राप्त हुआ और मामले नीचे दिखाये गये हैं:

**5.5.2.1** बेंगलूरु एलटीयू कमिश्नरी के केंगेंरी डिविजन ने उत्पादों (बहुल प्रयोज्य वाहन, यात्रा कारें और उनके पुर्जे) के लेन-देनों के मूल्य में उनके डीलरों द्वारा किये गये प्रोत्साहन व्यय को न जोड़ने के लिए मै. टोयोटा किलोस्कर मोटर्स प्रा. लि के प्रति 01 जुलाई 2000 से 31 मार्च 2003 की अवधि हेतु ब्याज सहित ₹ 65.21 लाख की मांग की पुष्टि की। निर्धारिती ने उच्चतर प्राधिकारियों को अपील की। दिनांक 25 जून 2007 के अपने अंतिम आदेश में सेसटैट ने निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील अनुमत की। इस अंतिम आदेश के प्रति विभाग ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील सं. 1389-1392/2008 फाइल की जो लम्बित थी (अगस्त 2014)। लेखापरीक्षा में यह अवलोकन किया गया था कि विभाग ने

<sup>76</sup> एफ.स. 208/04/2013/सीएक्स-6 दिनांक 22 अप्रैल 2013

<sup>77</sup> कोलकाता V, राँची, जयपुर I, बेंगलूरु एलटीयू, थाणे I और अहमदाबाद II

जनवरी 2004 से मार्च 2006 की अवधि हेतु कोई एससीएन जारी नहीं किया था।

अधिक संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने ₹ 21.19 करोड़ की राशि के लिए अप्रैल 2006 से सितम्बर 2010 की अवधि हेतु 6 अप्रैल 2011 को आवधिक एससीएन जारी किया। चूंकि विस्तारित अवधि को, समान तथ्यों पर बाद में नोटिस जारी करते हुए, नहीं लगाया जा सकता अप्रैल 2006 से मार्च 2010 की अवधि के लिए ₹ 18.47 करोड़ की जारी मांग, समय बाधित हो सकती है।

जब हमने इसे इंगित किया (अगस्त 2014), मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि निर्धारिती ने अगस्त 2007 के बाद की अवधि हेतु अपेक्षित विवरण, लगातार अनुनय और असंख्य अनुस्मारकों के परिणाम स्वरूप अनिच्छापूर्वक और देर से प्रथम पत्र (31 अगस्त 2007) की तिथि से लगभग तीन वर्षों के अतिरिक्त विलंब के बाद 9 अगस्त 2010 को प्रस्तुत किये। अतः शुल्क से बचने की इच्छा के साथ तथ्यों को दबाया गया था और बाद में एससीएन जारी करने में विस्तारित अवधि का लगाना गलत नहीं था। लेखापरीक्षा आपत्ति में दर्शाई गई अवधि हेतु एससीएन जारी न किये जाने के संबंध में मामला जांच के अधीन है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एससीएन जारी करने में विस्तारित अवधि अपवाद मामलों में उपयोग की जानी है न कि सामान्य मामलों में।

**5.5.2.2 ठाणे-। कमिश्नरी के अंतर्गत कल्याण । डिविजन की रेंज III में** अध्याय 22 के अंतर्गत माल के निर्माण में शामिल, में. हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजिज प्रा. लि. ने अप्रैल 2006 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान तैयार माल बाहरी के परिवहन के लिए माल परिवहन एजेंसी सेवा (जीटीए), केटरिंग सेवाओं और अन्य अयोग्य सेवाओं के प्रति सेवा कर क्रेडिट प्राप्त किया। इस संबंध में ₹ 1.75 करोड़ हेतु मई 2011 में जारी एससीएन की कमिश्नर द्वारा पुष्टि की गई थी (अगस्त 2011) और ₹ 1.75 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। तब से मामला सेसटैट में लंबित है। हमने देखा कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान, निर्धारिती ने बाहरी परिवहन के लिए जीटीए सेवाओं और केटरिंग सेवाओं पर ₹ 1.45 करोड़ का सेवा कर क्रेडिट प्राप्त किया। राजस्व हानि से बचने के लिए, विभाग द्वारा उक्त अवधि के लिए आवधिक एससीएन जारी किया जाना चाहिए था परंतु ऐसा कोई एससीएन जारी नहीं किया गया (दिसम्बर 2014)।

जब हमने इसे इंगित किया (मई 2014), मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और कहा कि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि हेतु



सेनवैट क्रेडिट की उक्त प्राप्ति सहित ₹ 1.74 करोड़ की राशि हेतु सीसीई ठाणे। द्वारा 20 जून 2014 को संयुक्त एससीएन जारी किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014 की अवधि हेतु दिनांक 30 अप्रैल 2015 को ₹ 5.29 लाख आवधिक एससीएन जारी किया।

## 5.6 कारण बताओ नोटिस की पूर्णता

एससीएन वह आधार है जिस पर मांग आधारित होती है और यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसी मांग हेतु पूर्वापेक्षा होती है। एससीएन पर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत पूर्णतः लागू होता है उदाहरणतः वे सभी प्रमाण जिन पर विभाग उत्तर चाहता है, प्रकट किये जाने चाहिए। एससीएन को सभी आवश्यक विवरण देने चाहिए। मांगी गई राशि एससीएन में अवश्य दर्शाई जानी चाहिए। अधिसूचना द्वारा उल्लंघन की प्रकृति और उल्लंघन किये गये प्रावधानों को बताया जाना चाहिए। प्रभारों की सूचना दी जानी चाहिए। आधारों को भी बताया जाना चाहिए। यदि जुर्माना लगाया जाना प्रस्तावित है, इसे नोटिस में बताया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एससीएन अस्पष्ट भ्रामक और विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए यदि एससीएन एक आधार पर आधारित है, मांग की पुष्टि अन्य आधार पर नहीं की जा सकती।

संवीक्षा के आधार पर यह देखा गया कि तीन कमिश्नरियों<sup>78</sup> में पांच एससीएन गलत पाये गये। मंत्रालय ने एक मामले में तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015)। मंत्रालय ने शेष मामलों में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (दिसम्बर 2015)।

## 5.7 अधिनिर्णय की प्रक्रिया

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उपधारा (2ए) के अनुसार जहां कर चोरी की मंशा से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जनबूझ कर तथ्यों की गलत बयानी या छुपाव के कारण या इस अधिनियम अथवा इसक अंतर्गत नियमावली के किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण, किसी उत्पाद शुल्क की वसूली न की गई हो या कम वसूली की गई हो अथवा कम भुगतान अथवा गलती से प्रतिदाय किया गया हो तो अधिनिर्णायक प्राधिकारी, जहां संभव हो, संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर, ऐसे शुल्क का निर्धारण करेगा और अन्य मामलों में, जहां तक संभव हो, वह, शुल्क जिसकी वसूली न की गई हो या भुगतान न किया गया हो या कम वसूली की गई हो या कम भुगतान अथवा गलत प्रतिदाय किया गया हो, की धनराशि का, जहां ऐसा निर्धारण उपधारा 11ए(1) के तहत जारी नोटिस की तिथि के छ माह के भीतर, निर्धारण करेगा।

<sup>78</sup> कोलकाता III, कोलकाता V और शिलोंग

### 5.7.1 लंबित अधिनिर्णयन मामले

16 कमिश्नरियों<sup>79</sup>, डिविजन और रेंजो में रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग, 31 मार्च 2014 तक 196 मामलों में अधिनिर्णयन करने में विफल रहा जिस कारण ₹ 289.67 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध हो गया। विलंब की रेंज, एससीएन के जारी करने के एक वर्ष के बाद से छः महीनों से दस वर्षों के बीच थी।

विभाग को मामला बताया गया (जुलाई से नवम्बर 2014)। अधिकतर मामलों में मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (नवंबर 2015) कि मामलों के अधिनिर्णयन हेतु मुख्य कारण, नियमित अधिनिर्णायक अधिकारियों की अनुपस्थिति/बार-बार स्थानांतरण था।

कुछ रोचक मामले नीचे दर्शाये गये हैं:

**5.7.1.1** रांची कमिश्नरी में, मै. सेल, बोकारो को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4(1)(बी) तथा मूल्यांकन नियम 2000 के प्रावधान के उल्लंघन में 2006-07 की अवधि हेतु ₹ 5.32 लाख के भुगतान से बचने के लिए मई 2011 में एक एससीएन जारी किया गया। एससीएन की प्रतिक्रिया में, मै. सेल बोकारो ने अंतिम निर्णय से पहले व्यक्तिगत सुनवाई देने के अनुरोध के साथ 14 मई 2012 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। परंतु न तो निर्धारिती को विभाग द्वारा कोई तिथि प्रदान की गई और न ही मामले में कोई कार्रवाई की गई। दो से अधिक वर्षों के बाद भी मामले को अधिनिर्णित नहीं किया गया।

जब हमने इसे इंगित किया (सितम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि मामले पर जल्द ही अधिनिर्णय किया जाएगा।

**5.7.1.2** कोलकाता-III कमिश्नरी में मै. रामसरूप इंस्ट्रियल कार्पोरेशन को सेरा आपत्ति के आधार पर ₹ 1.68 करोड़ हेतु दिनांक 30 अप्रैल 2010 को एक एससीएन जारी किया गया। विभाग द्वारा विरोध किये जाने के कारण 06 मई 2010 को मामले को कॉल बुक में स्थानांतरित कर दिया गया। मामले को कॉल बुक से अधिनिर्णयन हेतु 27 जुलाई 2011 को निकाला गया। हमने आगे अवलोकन किया कि अधिनिर्णयन की प्रक्रिया के दौरान, विभाग ने विधि अनुसार तीन बार के स्थान पर निर्धारिती के अनुरोध पर छः बार (12 अप्रैल 2012 को 6वीं पीएच के रूप में) व्यक्तिगत सुनवाई स्थगित की गई।

<sup>79</sup> कोलकाता III, कोलकाता V, दिल्ली I, दिल्ली II, दिल्ली एलटीयू, शिलांग बोलपुर, गुवाहाटी, रायगढ़, कानपुर, भोपाल, जयपुर I, जयपुर II, पुदुच्चेरी, चंडीगढ़-I और रांची

निर्धारित 21 जून 2012 को अधिनिर्णयन प्राधिकारी (अर्थात् कमिश्नर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोलकाता-III कमिश्नरी) के समक्ष प्रस्तुत हुआ और संबंधित रेंज अधिकारी द्वारा बीजक के सत्यापन हेतु अनुरोध किया। परन्तु उक्त सत्यापन नहीं किया गया और परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर 2014 तक अधिनिर्णयन हेतु मामला लंबित रहा।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि व्यक्तिगत सुनवाई के बाद सुझाई गई समय सीमा में अधिनिर्णयन आदेशों को जारी करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे अधिनिर्णायक प्राधिकारी के पास लंबित पड़ा हुआ समय-बद्ध कार्य, इसके अतिरिक्त दस्तावेज/पार्टी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुतिकरण का सत्यापन के कारण, अधिनिर्णायक प्राधिकारी समय पर आदेश जारी करने योग्य नहीं होते। तथापि, लेखापरीक्षा आपत्ति पर अनुपालन के लिए टिप्पण ले ली गई है।

इस प्रकार, विभाग इन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर, उक्त मामलों के अधिनिर्णयन में मौजूदा विधि के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा।

### 5.7.2 व्यक्तिगत सुनवाई को निर्धारित करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के अनुसार, जहां तक संभव हो, एससीएन को एससीएन की तिथि से छः माह एक वर्ष के अंदर अधिनिर्णयन किया जाना चाहिए।

पांच कमिश्नरियों<sup>80</sup> में एससीएन और अधिनिर्णयन फाइलों की संवीक्षा पर, यह पता चला कि 20 मामले में पहली व्यक्तिगत सुनवाई अतिरिक्त विलंब के बाद निर्धारित की गई थी। हमने पाया कि 371 दिनों से 4,641 दिनों के बीच विलंब था जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन प्रक्रिया विलंबित हुई।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2014), मंत्रालय ने अधिकतर मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और कहा कि अधिनिर्णायक प्राधिकारियों में परिवर्तन और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पालना करने के लिए एससीएन में विनिर्दिष्ट तथ्यों के सत्यापन में लिये गये समय के कारण विलंब हुआ।

<sup>80</sup> अहमदाबाद II, राजकोट, अलवर, जयपुर I और जयपुर II

### 5.7.3 व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 33ए(1) में प्रावधान है कि यदि पर्याप्त कारण दर्शाया गया है, कार्रवाई के किसी भी स्तर पर अधिनिर्णायक प्राधिकारी, समय-समय पर, पार्टी को या उनमें से किसी को समय प्रदान कर सकता है और कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके सुनवाई स्थगित कर सकता है, बशर्ते कि कार्रवाई के दौरान ऐसा स्थगन किसी पार्टी को तीन बार से अधिक न दिया जायेगा।

रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि नौ कमिश्नरियों<sup>81</sup> में 49 मामलों में, मांग मामलों का अधिनिर्णय करते समय विभाग ने, उक्त विधि प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, निर्धारिती को तीन बार से अधिक स्थगन प्रदान किये।

स्थगन की संख्या 4 से 9 के बीच थी।

जब हमने इसे इंगित किया (मई से नवम्बर 2014), मंत्रालय ने अधिकतर मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2015) कि अधिक पीएच देने का कारण अधिनिर्णायक प्राधिकारियों को परिवर्तन था, इस तथ्य के कारण कि नैसर्गिक न्याय प्रभावी सुनवाई कराना अति आवश्यक था, अधिक पीएच प्रदान किये गये और अधिकतर मामलों में निर्धारिती ने ही उसकी मांग की थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त धारा 33(ए) के अनुसार श्रेणीबद्ध अधिकतम तीन स्थगन का ही प्रावधान है।

### 5.7.4 व्यक्तिगत सुनवाई की पूर्णता के बाद निर्धारित अवधि में अधिनिर्णयन आदेश जारी करना

दिनांक 5 अगस्त 2003<sup>82</sup> के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, उन सभी मामलों जहां व्यक्तिगत सुनवाई पूरी हो गई हो, में तुरन्त बाद या 5 दिनों के तर्कसंगत समय में निर्णय को अवश्य ही सूचित किया जाना चाहिए। किसी विशेष मामले में जहां कुछ विशेष कारणों से, उपरोक्त समय सीमा का अनुपालन नहीं किया जा सकता, आदेश व्यक्तिगत सुनवाई के पूरी होने की तिथि से 15 दिनों या अधिकतम एक महीने के अंदर जारी किया जाना चाहिए।

<sup>81</sup> कोलकाता III, गुवाहाटी, अहमदाबाद II, जयपुर I, जयपुर II, चंडीगढ़ I, दिल्ली I, बेलापुर और कानपुर

<sup>82</sup> परिपत्र सं. 732/48/2003-सीएक्स सीएक्स दिनांक 5 अगस्त 2003

23 कमिश्नरियों<sup>83</sup> और डिवीजनों में रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि विभाग 342 मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई के निष्कर्ष की तिथि से एक महीने की निर्धारित समयावधि में अधिनिर्णय करने में विफल रहा। विलंब 2 दिनों से 333 दिनों (पार्टियों को प्रदान की गई अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई की पूर्णता की तिथि से 30 दिनों के अतिरिक्त) के बीच था।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2014 और नवम्बर 2014 के बीच), तथ्यों को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि अधिकतर मामलों में विलंब नोटिस प्राप्त कर्त्ता द्वारा फाईल किये गये उत्तर के संबंध में डिविजन कार्यालय से टिप्पणियां प्राप्त करने, निर्धारितियों द्वारा समय पर अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण था। इसके अतिरिक्त, यह दोहराया गया कि अधिनिर्णायक अधिकारी अधिकतर मामलों में निर्धारित समयावधि में मामलों को निपटाने का सदैव प्रयास करता है परन्तु कुछ विशेष मामलों में जहां कानून के कुछ कठिन प्रश्न सामने आये और जहां कानून और रक्षा को, मामले में एससीएन के अभिकथन के साथ-साथ विस्तृत जांच आवश्यक होती है वहां विनिर्दिष्ट समय-सीमा का सख्त अनुपालन संभव नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने अधिकतम समय, अंतिम पीएच के बाद एक महीना निर्धारित किया है इसलिए या तो विभागीय अधिकारी इस समय सीमा का अनुपालन करेंगे या बोर्ड अपवाद मामलों में समय सीमा उचित रूप से संशोधित कर सकता है।

## 5.8 वापस भेजे गये मामलों का अधिनिर्णय

**5.8.1** केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उप धारा (1) में प्रावधान है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, जहां ऐसी करना संभव हो, सामान्य मामले में नोटिस की तिथि से छः महीनों के अंदर और जहां शुल्क के भुगतान से बचने की इच्छा के साथ धोखाधड़ी, साठगांठ के कारण या जान बूझकर गलत विवरण देने या तथ्यों को छिपाने या इस अधिनियम या नियमों के किसी प्रावधान के उल्लंघन के कारण किसी उत्पाद शुल्क को उद्ग्रहण या भुगतान न किया गया हो या कम उद्ग्रहण या कम भुगतान किया गया या गलती से प्रतिदाय किया गया हो, जहां ऐसा करना संभव हो, वहां नोटिस की तिथि से एक वर्ष के अंदर उत्पाद शुल्क राशि का निर्धारण करेगा। नये सिरे

<sup>83</sup> कोलकाता III, कोलकाता V, बोलपुर, गुवाहाटी, नोएडा, कानपुर दिल्ली I, दिल्ली II, इंदौर, भोपाल, मुंबई एलटीयू, बेलापुर, औरंगाबाद, रायगढ़, कायम्बदूर, चेन्नै II, कोचीन, बड़ोदरा I, जयपुर I, जयपुर II, हैदराबाद II, चंडीगढ़ I और पंचकुला

से चलने वाले मामलों में, जब भी मामला वास्तविक प्राधिकारी को भेजा जाता है, मामला एक नये मामले के रूप में लिया जाना चाहिए तथा उसमें तदनु रूप ही निर्णय किया जाना चाहिए।

पांच कमिश्नरियों<sup>84</sup> में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में विभाग ने नये सिरे से चलाये गये मामलों में समय पर अधिनिर्णय करने में विफल रहा। विलंब 2 से 10 वर्षों के बीच था। मंत्रालय ने एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015)। दो रोचक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

**5.8.1.1** गुवाहटी कमिश्नरी में, मै. असम एसबेसटोस लिमिटेड के मामले में [एससीएन दिनांक 13 जुलाई 2001], विभाग ने दिनांक 25 जुलाई 2002 के आदेश द्वारा ₹ 12.02 लाख की मांग की पुष्टि की। असंतुष्ट होने के कारण, निर्धारिती ने विवादित आदेश के प्रति सेसटैट में अपील फाइल की। सेसटैट ने मामले को, दिनांक 27 मई 2005 के अपने आदेश से, नये सिरे से अधिनिर्णयन के लिए वापस भेजा। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि इस मामले पर व्यक्तिगत सुनवाई पांच वर्षों से अधिक की अवधि के बाद 12 नवम्बर 2010 को की गई परंतु उस समय के कमिश्नर द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। दोबारा, इस मामले पर 26 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई की गई और अंत में नया अधिनिर्णय आदेश 11 मार्च 2013 को जारी किया गया। इस प्रकार, विभाग ने इस मामले में नई अधिनिर्णयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात वर्ष से अधिक का समय लिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2015) तथ्यों को स्वीकार किया और विलंब के लिए खेद जताया। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि वापस भेजे गये मामलों को निर्धारित समयावधि में अंतिम रूप दिये जाने के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाएगी।

**5.8.1.2** रायगढ़ कमिश्नरी में, मै. निप्पो डेनरो इस्पात लिमिटेड को जारी किया गया एससीएन मुंबई III कमिश्नरी द्वारा आरंभ में अधिनिर्णित (फरवरी 1997) किया गया। तथापि, यह मामला सेसटैट द्वारा नये अधिनिर्णय हेतु वापस भेजा गया (नवम्बर 2003)। यद्यपि फाइल को 2004 और 2005 के दौरान अधिनिर्णायक प्राधिकारी का निर्णय लेने के लिए पस्तुत किया गया था, परन्तु 2013 तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई तथा व्यक्तिगत सुनवाई (अगस्त 2013) और नये अधिनिर्णयन हेतु सेसटैट आदेश के 10 वर्षों के बाद

<sup>84</sup> वड़ोदरा I, नोएडा, कानपुर, गुवाहाटी और रायगढ़

मामले को अधिनिर्णित किया गया (नवम्बर 2013)। मामला, अधिनिर्णयन हेतु लंबित मामलों की अपर्याप्त निगरानी के कारण विलंबित हुआ।

उत्तर में (नवम्बर 2015) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि कमिश्नरियों के पुनः संगठन तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना के कारण विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग ने उपरोक्त बताये गये कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, वापस भेजे गये मामलों के अधिनिर्णय में अतिरिक्त विलंब किया।

### 5.8.2 कमिश्नर (अपील) द्वारा वापस भेजे गये मामले

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ए(3) के अनुसार कमिश्नर (अपील) आवश्यकतानुसार आगे की जांच करने के बाद, अपील किये गये निर्णय का अनुमोदन, संशोधन या निरस्त करने का आदेश जो भी उन्हें न्यायपूर्ण और उचित लगता है, पारित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 18 फरवरी 2010<sup>85</sup> के बोर्ड के परिपत्र ने स्पष्ट किया कि कमिश्नर (अपील) द्वारा रिमांड की शक्ति वित्त बिल, 2001 के अंतर्गत 11 मई 2001 से लागू संशोधित धारा 35 ए से वापस ले ली गई है।

चार कमिश्नरियों<sup>86</sup> में रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि सात मामलों में, कमिश्नर (अपील) ने उपर्युक्त विधि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मामले वापस भेज दिये।

इस प्रकार कमिश्नर (अपील) द्वारा मामलों को वापस भेजा जाना उपर्युक्त बोर्ड स्पष्टीकरण के साथ पठित विधि प्रावधानों का उल्लंघन था।

जब हमने इसे इंगित किया (नवम्बर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि कमिश्नर (अपील) के पास अभी भी मामले को वापस भेजने की शक्ति है जैसाकि {2014(302)इएलटी 244 (न्यायाधिकरण दिल्ली)} में रिपोर्ट किये गये कानूनी मामले में माननीय सैसटैट द्वारा भी निर्णय लिया गया था। सैसटैट का यह निर्णय यूओआई बनान उमेश {धैमोड-1998(98)इएलटी 584 (एस.सी)} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर विश्वास दर्शाते हुए लिया गया था। माननीय उच्च-न्यायालय गुजरात के

<sup>85</sup> एफ सं. 275/34/2006-सीएक्स.8ए दिनांक 18 फरवरी 2010

<sup>86</sup> जयपुर I, कोलकाता III, नोएडा और बेलापुर

{2004(173)इएलटी 117 (गुजरात)} में रिपोर्ट किये गये निर्णय ने भी इस मत की पुष्टि की।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिनांक 1 मार्च 2007<sup>87</sup> को अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कमिश्नर (अपील) द्वारा वापस भेजने की शक्ति 11 मई 2001 से लागू संशोधित धारा 35 ए के द्वारा वापस ले ली गई थी। जिसके बाद बोर्ड ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्णय के सख्ती से अनुपालन के लिए उपरोक्त स्पष्टीकरण जारी किया।

## 5.9 निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

निगरानी और आंतरिक नियंत्रण एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो जोखिम से बचाता है और पद्धति और प्रक्रिया की प्रभावशीलता और उपयुक्तता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करता है। हमने इस संबंध में निम्नांकित कमियां देखीं।

### 5.9.1 कॉल बुक मामलों का अधिनिर्णयन

दिनांक 14 दिसंबर 1995<sup>88</sup> के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, मामलों की अग्रलिखित श्रेणियां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ कॉल बुक में स्थानांतरित की जा सकती हैं:

- (i) मामले जिनमें विभाग, उपयुक्त प्राधिकारी को अपील में जा चुका हो।
- (ii) मामले जहां सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीगैट आदि द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई हो।
- (iii) मामले जहां लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध किया गया हो।
- (iv) मामले जहां बोर्ड ने उसे लंबित रखने और कॉल बुक में प्रविष्ट करने हेतु विशेष आदेश दिये हैं।

दोबारा, बोर्ड ने बल दिया<sup>89</sup> कि कॉल बुक मामलों की प्रत्येक महीने में समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने मासिक समीक्षा की आवश्यकता को (दिसम्बर 2005) यह कहते हुए दोहराया कि कॉल बुक मामलों की समीक्षा से कॉल बुक में बिना पुष्टि की गई मांगों की संख्या में काफी कमी हो सकती है।

<sup>87</sup> एमआईएल इंडिया लिमिटेड. [2007(210) इएलटी 188 (एससी)]

<sup>88</sup> परिपत्र नं. 162/73/95-सीएक्स दिनांक 14 दिसम्बर 1995

<sup>89</sup> डीओएफ नं. 101/2/2003-सीएक्स-3 दिनांक 03 जनवरी 2005



नमूना जांच के दौरान, हमने कोलकाता कमिश्नरी में, जहां मामलों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी, 31 मार्च 2014 तक कॉल बुक में रखे गये ₹ 18.20 करोड़ के मौद्रिक कार्यान्वयन वाले 30 मामले देखे।

फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 5.34 करोड़ के चार मामले और ₹ 3.29 करोड़ वाले 10 मामले क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्षों से अधिक से लंबित थे।

इस संदर्भ में एक मामले का नीचे वर्णन किया गया है:

₹ 1.23 करोड़ के राजस्व सहित मै. क्लैक्ट इंडिया लि. का मामला कॉल बुक में प्रविष्टि की तिथि से दस वर्षों तथा एससीएन के जारी करने [एससीएन दिनांक 25 अप्रैल 1986] से पच्चीस वर्षों से अधिक से लंबित था। मामला निर्धारिती द्वारा दखिल कोलकाता उच्च न्यायालय में रिट याचिका (1987 की डब्ल्यू.पी. सं. 5086) के आधार पर कॉल बुक में स्थानांतरित किया गया था। विभाग ने मामले के शीघ्र सूचीकरण एवं सुनवाई हेतु जुलाई 2004 में आवश्यक प्रबंध करने के लिए वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी वकील से आग्रह किया। तबसे लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई अन्य प्रगति नहीं हुई थी। इससे कॉल बुक में दीर्घ अवधि से लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभाग की ओर से दुलमुल दृष्टिकोण का पता चलता है।

जब हमने इसे इंगित किया (जुलाई 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि मामले कॉल बुक में रखे गये हैं क्योंकि विभाग समान मामलों में अपील में जा चुका है। परंतु तथ्य यह है कि ये मामले काफी लंबे समय से लंबित हैं और लंबित मामलों के निपटान के लिए विभाग ने कोई अग्रसक्रिय कार्रवाई नहीं की।

### 5.9.2 कॉल बुक मामलों की निगरानी

2011-12, 2012-13 और 2013-14 की अवधि हेतु 14 कमिश्नरियों<sup>90</sup> में रिकार्ड की संवीक्षा से पता चला कि कॉल बुक रजिस्टर को उपयुक्त रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया था और नियमित रूप से समीक्षा नहीं की गई थी। डीजीआईसीसीई ने भी अपनी रिपोर्ट में अनियमितता को उजागर किया था। इसके बावजूद ₹ 29.76 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 121 मामले अनियमित रूप से कॉल बुक में रखे पाये गये। त्रुटि के कुछ कारण थे: कॉल बुक में मामले के स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन न लेना, समान

<sup>90</sup> जयपुर I, जयपुर II, दिल्ली I, दिल्ली II, नोएडा, कालीकट, कोचीन, भोपाल, चेन्नै II, वडोदरा I, चंडीगढ़ I, गुवाहाटी, कोलकाता V और बोलपुर

मामलों में उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णय के बावजूद कॉल बुक में लंबित दर्शाये गये पैरा तथा सीएजी पैरा के विरोध के आधार पर कॉल बुक में लंबित रखे गये पैरा यद्यपि या तो इन मामलों में सीएजी द्वारा एसओएफ/डीपी जारी नहीं की गई थी या सीएजी द्वारा पैरा समाप्त किये गये थे। मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और कहा कि अब उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

कुछ रोचक मामले नीचे दर्शाये गये हैं:

5.9.2.1 दिनांक 12 जनवरी 2005<sup>91</sup> के अपने परिपत्र में बोर्ड ने श्रेणी बद्ध रूप से स्पष्ट किया कि जहां मामले नये अधिनिर्णय हेतु वापस भेजे गये, वे उसी अधिनिर्णयक प्राधिकारी जिसने उक्त आदेश पास किया था अर्थात् वास्तविक अधिनिर्णयक प्राधिकारी द्वारा निर्णीत होने चाहिये।

कोलकाता-V कमिश्नरी के रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि मै. जय इंजिनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के मामले में उसे सेसटैट कोलकाता द्वारा नये अधिनिर्णयन हेतु वापस भेजा गया था। विभाग ने ऐसे नये सिरे से आरंभ अधिनिर्णयन के लिए अधिनिर्णयक प्राधिकारी निश्चित करने के लिए अपील सं. 198/2008 द्वारा विविध आवेदन दाखिल किया। बोर्ड से श्रेणीबद्ध निर्देशों के बावजूद, विभाग ने अधिनिर्णयक प्राधिकारी निश्चित करने के लिए 2008 में सेसटैट को विविध आवेदन किया गया था। इस प्रकार, अपीलीय फोरम में पड़े मामलों के कारण मामला काल बुक में स्थानांतरित कर दिया गया, हालांकि मामला बोर्ड के पुर्वोक्त स्पष्टीकरण का अनुपालन करते हुए अधिनिर्णित किया जा सकता था।

बोलपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत एक सदृश मामले में, मै. ईस्टर्न बिस्किट्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध 24 नवम्बर 1980 से 08 अक्टूबर 1985 की अवधि से संबंधित एक मामला 21 अक्टूबर 2008 से, सेसटैट, कोलकाता के आदेश दिनांक 7 जुलाई 2006 को उद्धृत करते हुए, जिसमें सीईएसटीएटी ने मामले को, यथोचित अधिकारी द्वारा अस्थायी निर्धारण को अन्तिम रूप देने के बाद पुनः अधिनिर्णय के लिए वापस भेज दिया, कालबुक में रहने दिया गया था हमने यह भी देखा कि दिसम्बर 2011 में कालबुक मामलों की आवधिक समीक्षा के दौरान, उक्त कमिश्नरी के कमिश्नर ने समीक्षा पत्र में कहा कि मामले को कॉल बुक में रखने का कोई कारण बचा नहीं रहा। तथापि, मामला 21 अगस्त 2014 तक कॉल बुक में बना रहा। हालांकि मामला कॉलबुक में

<sup>91</sup> बोर्ड का परिपत्र सं. 806/3/2005-सीएक्स दिनांक 12 जनवरी 2005

रखने के लिए ऊपर उद्धृत किसी श्रेणी में नहीं आता, तो भी विभाग ने अनियमित रूप से मामले को कॉल बुक में रखा।

जब हमने इसे बताया (जुलाई से अगस्त 2014), मंत्रालय ने (नवम्बर 2015) मै. जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि. के मामले में कहा कि अधिनिर्णय अधिकारी को, बोर्ड के परिपत्र के अनुसार मामले के नए सिरे से अधिनिर्णय के लिए सलाह दी गई। मै. ईस्टर्न बिस्किट्स क. लि. के मामले में कहा गया कि मंडलीय डिप्टी कमिश्नर द्वारा अस्थायी निर्धारण को अंतिम रूप न देने के कारण नए सिरे से अधिनिर्णय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बाद में, मामले को दुर्गापुर कमिश्नरी को स्थानान्तरित कर दिया गया था।

**5.9.2.2** नोएडा कमिश्नरी में, मै. होंगो इंडिया (प्रा.) लि. को 05 नवम्बर 2001 को एक एससीएन जारी किया गया जिसमें 10 मार्च 1999 से 15 नवम्बर 2000 की अवधि के दौरान गलत ढंग से मोडवैट क्रेडिट के लिए गए ₹ 8.43 करोड़ की मांग की गई, जिस पर विभाग ने विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसे 27 मार्च 2009 पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद, ये मामले समान प्रकृति के पांच अन्य मामलों के साथ अनियमित रूप से पांच वर्षों की समाप्ति के बाद भी कॉल बुक में रखे गए थे।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (सितम्बर 2014) मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (नवम्बर 2015) कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विभागीय अपील के खारिज होने के कारण मै. होंगो इंडिया प्रा. लि. का मामला, मार्च 2015 में कॉल बुक से निकाल दिया गया।

**5.9.2.3** दिनांक 3 फरवरी 2010<sup>92</sup> को बोर्ड के परिपत्र के अनुसार, सीएजी आपत्तियों के मामलों में जहां विरोध किया गया हो तथा सीएजी से एक वर्ष बाद भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो तथा जहां कोई एसओएफ तथा डीएपी भी विचाराधीन नहीं हो को, कॉल बुक से निकालकर तथा मामले के महत्व पर अधिनिर्णय किया जाएगा।

बोलपुर तथा वडोदरा-। कमिश्नरियों में, यह देखा गया कि निम्नलिखित मामलों को विवादित सीएजी आपत्ति के संबंध में कालबुक में हस्तान्तरित किया गया था किन्तु सीएजी द्वारा उठाए गए पैरा के समापन के पश्चात भी अनियमित रूप से रखा गया था:

<sup>92</sup> एफ सं. 206/02/2010-सीएक्स-6 दिनांक 03 फरवरी 2010

तालिका 5.1

निर्धारिती	कमिश्नरी	कॉलबुक में प्रविष्टि	सीएजी लेखापरीक्षा आपत्ति की स्थिति	सीएजीद्वारा समापन
मै. दुर्गापुर स्टील प्लांट	बोलपुर	जुलाई 2005	एसएफ सं. 102/99-2000 डीएपी सं.63/99-2000	सितम्बर 2005
मै. दुर्गापुर स्टील प्लांट	बोलपुर	जून 2006	एसएफ सं. 105/99-2000	सितम्बर 2005
मै. श्री वसावी इंडस्ट्रीज लि.	वडोदरा।	मार्च 2012	आईआर सं. सीईआरए/आईआर/बीओएल /10-11/921	अक्टूबर 2012
मै. गुजरात अल्केलिज एंड कैमिकल्स लि.	वडोदरा।	अप्रैल 2003	डीएपी-64/2005-06.	मई 2008

यह कॉल बुक की उचित निगरानी की कमी को दर्शाता है।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जून से अगस्त 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि ये सभी तीन मामले अक्टूबर 2014 के दौरान कॉलबुक से निकाल लिए गए हैं।

आवधिक समीक्षा तथा विभाग द्वारा कॉलबुक मामलों के निपटान संबंधी बोर्ड की निरन्तर चिंता के बावजूद, विभाग की ओर से खामियां अब भी कायम हैं।

### 5.9.3 एमटीआर के माध्यम से रिपोर्टिंग का निगरानी तंत्र

बोर्ड ने पत्र दिनांक 23 मई 2003<sup>93</sup> के पत्र द्वारा कमिश्नरों तथा चीफ कमिश्नरों को अधिनिर्णय मामलों के लंबन के कारणों का विश्लेषण करने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने की सलाह दी। मासिक तकनीकी रिपोर्ट(एमटीआर) के अनुबंध-IV तथा IVए में अधिनिर्णय तथा उनके निपटानों से संबंधित सूचना सम्मिलित होती है।

एमटीआर में अधिनिर्णय तथा उनके निपटान, लंबन के कारणों, अपुष्ट मांगों, कॉलबुक मामलों के लंबन इत्यादि से संबंधित कुछ अनुलग्नक हैं। इनमें से कुछ डीजीआईसीसीई द्वारा निगरानी किए जाते हैं। चीफ कमिश्नरियां इन्हें निगरानी अधिकारियों को अग्रेषित करती हैं। सुसंगत अनुबंध में अनुबंध II, IV, IVA, VII तथा XI शामिल हैं। .

<sup>93</sup> पत्र संख्या 296/2/2003- सीएक्स दिनांक 23 मई 2003

सात कमिश्नरियों<sup>94</sup> में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग में अनुरक्षित अन्य रिकार्डों (335 जे रजिस्टर /अधिनिर्णय रजिस्टर) तथा एमटीआर के बीच आंकड़ों में अन्तर है। मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि अब उपयुक्त ध्यान रखा जा रहा है।

इस तथ्य में एक मामला नीचे दिया जा रहा है:

बोलपुर कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मासिक आधार पर कॉलबुक मामलों की समीक्षा नहीं की जा रही थी। कॉलबुक रजिस्टर के एमटीआर के साथ मिलान से पता चला कि हालांकि 31 मार्च 2014 को 2 वर्ष से अधिक पुराने 114 मामले थे परन्तु एमटीआर में दो वर्ष से ऊपर का पुराना कोई मामला नहीं दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉलबुक में 5 मामले थे जो 8 वर्षों से अधिक पुराने थे।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अगस्त 2014) मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि अब उचित रिकार्ड बना कर रखा जा रहा है।

#### 5.9.4 रजिस्ट्रों का रखरखाव

बोर्ड ने दिनांक 24 दिसम्बर 2008<sup>95</sup> के अपने परिपत्र में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत, सेक्टर अधिकारियों तथा रैंज अधिकारियों द्वारा पूरे किये जाने वाले कार्यों, उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों की परिकल्पना की तथा इसके अन्तर्गत उचित रिकार्डों/रजिस्ट्रों के रखरखाव तथा समयोजित समीक्षा तथा मासिक सारांश तैयार करने के लिए नियम बनाए गए।

10 कमिश्नरियों<sup>96</sup> में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि 335 जे पुष्टि /अपुष्ट मांग, अधिनिर्णय, कॉलबुक रजिस्ट्रों इत्यादि के रखरखाव तथा तैयारी के संबंध में उचित निगरानी की कमी थी।

विभाग का ध्यान मुद्दों की ओर दिलाया गया (जुलाई से नवम्बर 2014)। उत्तर में मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि अब रजिस्ट्रों का रखरखाव उचित रूप से किया जा रहा है।

<sup>94</sup> दिल्ली I, कोलकाता III, बोलपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर तथा राजकोट

<sup>95</sup> परिपत्र सं. एफ सं. 224/37/2005-सीएक्स-6 दिनांक 24 दिसम्बर 2008

<sup>96</sup> दिल्ली II, भोपाल, मुंबई एलटीयू, रायगढ, जयपुर I, नोएडा, कानपुर, राँची, जमशेदपुर तथा कोचीन

### 5.9.5 कारण बताओ नोटिस की तैयारी तथा जारी करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण

बोर्ड ने, दिनांक 23 मई 2003<sup>97</sup> के पत्र द्वारा चीफ कमिश्नरों तथा कमिश्नरों को अधिनिर्णय मामलों के लंबन के कारणों का विश्लेषण तथा निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का निर्देश दिया था।

नौ कमिश्नरियों<sup>98</sup> में रिकार्डों की संवीक्षा से पता चला कि एससीएन तैयार करने तथा जारी करने, अधिनिर्णय के लिए एससीएन के लंबन के कारणों का विश्लेषण, कॉलबुक की समीक्षा इत्यादि के संबंध में समुचित निगरानी की कमी थी। मंत्रालय ने अधिकांश मामलों में तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया था।

कुछ रोचक मामले आगे उद्धृत हैं:

**5.9.5.1** दिनांक 29 अप्रैल 1965<sup>99</sup> को बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, अधिनिर्णायक अधिकारी को एक ही मामले पर दो औपचारिक अधिनिर्णय आदेशों को पारित होने को सावधानी से रोकना चाहिए। इस संबंध में कानूनी स्थिति है कि जहां एक मामला सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले ही अधिनिर्णीत है, बाद में समान लेन देन से संबंधित अधिनिर्णय का अन्य आदेश पारित हो तो, दूसरा आदेश अमान्य है। प्राधिकारी जो दूसरे अधिनिर्णय में परिणत होने वाली जांच शुरू करता है, अधिकार क्षेत्र बिना कार्य करता है। दूसरा आदेश अमान्य होने के कारण, यह इस रूप में लिया जाना चाहिए जैसे यह अस्तित्व में ही नहीं है। जब ऐसे एक आदेश के पारित होने का तथ्य प्रकाश में लाया जाता है रिकार्डों को सही करना चाहिए, तदनुसार आदेश को रिकार्ड से समाप्त तथा प्रभावित पक्ष को सूचित करना चाहिए।

(i) कोलकाता V कमिश्नरी में, मै. डिजाइन एरा प्रा. लि. के मामले में, यह देखा गया कि, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 4,5,6,8,10,11, तथा 12 के उल्लंघन के लिए, 2006-07 से 2009-10 अवधि का कवर करने वाले दिनांक 2 मई 2011 के एससीएन द्वारा ₹ 10.91 लाख की एक मांग उठाई गई। इसके अतिरिक्त, 24 मई 2011 को, समान अवधि को कवर करने वाला तथा समान आधार के अन्तर्गत निर्धारिती को ₹ 49.13 लाख का अन्य कारण बताओ कम मांग नोटिस जारी किया गया था। दोनों

<sup>97</sup> पत्र सं. 296/2/2003 –सीएक्स 9 दिनांक 23 मई 2003

<sup>98</sup> दिल्ली V, कोलकाता V, इंदौर, भेपाल, जमशेदपुर, रांची, बोलपुर, राजकोट एवं नोएडा

<sup>99</sup> एफ सं. 18/18/65-सीएक्स IV दिनांक 29 अप्रैल 1965

एससीएन दिनांक 20 फरवरी 2012, के ओआईओ द्वारा समान अवधि तथा समान विषय के लिए दो मामलों की मांग पुष्टि करते हुए अधिनिर्णीत किये गये। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे पता चला कि इस विषय पर कोई शुद्धिपत्र जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार आरोपों के एक ही आधार के लिए तथा समान अवधि कवर करने वाली दो विभिन्न राशियों के लिए दो कारण बताओं कम मांग नोटिसों का निर्गमन, मौजूदा कानूनों के आलोक में अनियमित लगता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि गलती पर खेद है तथा भविष्य में संदर्भ के लिए लेखापरीक्षा की आपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा ।

(ii) मै. श्रीलैदर्स के समान मामले में, कोलकाता कमिश्नरी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 6 के उल्लंघन के लिए समान अवधि 1 फरवरी 2011 से 30 जून 2011 के लिए तथा समान विषय के लिए दिनांक 5 मार्च 2012 को क्रमशः ₹ 19.20 लाख तथा ₹ 23.55 लाख के शुल्क की मांग करते हुए दो एससीएन जारी किए थे।

उत्तर में, मंत्रालय ने तथ्यों का स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि गलती पर खेद है तथा भविष्य के संदर्भ के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा ।

(iii) उसी प्रकार, बोलपुर कमिश्नरी ने मै. दुर्गापुर स्टील प्लांट को जून 2006 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान सैनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाने के लिए ₹ 9.60 करोड़ (एससीएन दिनांक 16 जून 2011) की एक मांग जारी की। अधिनिर्णय की प्रक्रिया में विभाग ने पाया कि दो अन्य एससीएन दिनांक 3 फरवरी 2010 तथा 20 दिसम्बर 2011 में उठाई गई मांग राशि का एक भाग पहले से ही शामिल है। इस प्रकार वहां मांग नोटिस दिनांक 16 जून 2011 की मांगों का दोहराव था जैसा कि अधिनिर्णय आदेश (आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2011) पारित करते समय विभाग ने अवलोकन किया। विभाग के पास ₹ 37.82 लाख की एक राशि जो एससीएन दिनांक 3 फरवरी 2010 (₹ 31.01 लाख की राशि 10 अगस्त 2010 को पुष्टि) तथा एससीएन दिनांक 29.12.2010 (₹ 6.81 लाख की राशि 20 जुलाई 2011 को पुष्टि) के माध्यम से मांगी गई थी को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समान अवधि के लिए मांगों का दोहराव, कारण बताओं कम मांग नोटिस को जारी करने के लिए विभाग के कमजोर नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2015) किया तथा कहा कि गलती पर खेद है तथा ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

(iv) राजकोट कमिश्नरी के अन्तर्गत डिविजन -I में हमने पाया कि ₹ 0.52 लाख के लिए एक एससीएन दिनांक 26 जुलाई 2011 को मै. स्टार इंडस्ट्रीज को जारी किया गया था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कमिश्नर द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2012 के ओआईओ द्वारा अधिनिर्णीत तथा गिरा दिया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सेवा कर डिविजन के सहायक कमिश्नर ने भी समान लेन देन तथा राशि के लिए उसी निर्धारिती का अन्य एससीएन दिनांक 30 सितम्बर 2009 को जारी किया। एससीएन, जिसकी बाद में समान अधिकारी द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2010 के ओआईओ द्वारा पुष्टि की गई, जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने कमिश्नर (ए) राजकोट के समक्ष एक अपील अधिमत्त की। कमिश्नर (ए) ने, ओआईए दिनांक 14 दिसम्बर 2010 के द्वारा कहा कि तत्कालीन मामला निर्माता की हैसियत से अपीलकर्ता द्वारा सैनवेट क्रेडिट का गलत ढंग से लाभ उठाने से संबंधित हो सकता है, जिसके लिए मांग, यदि कोई है, क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कमिश्नर द्वारा की जानी चाहिये।

यह दर्शाता है कि दो अलग अधिनिर्णायक प्राधिकारियों ने अलग तरीके से समान विषय का अधिनिर्णय किया जबकि एक ने मांग की पुष्टि की, तथा दूसरे ने उसे छोड़ दिया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जुलाई से अक्टूबर 2014), मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2015) कि मै. स्टार इंडस्ट्रीज तथ्यों के दमन का मामला है तथा इसीलिए यह क्षेत्राधिकारी रेंज अधीक्षक द्वारा अधिनिर्णय किए जाने वाले मामले की कसौटी के अन्तर्गत नहीं आता तथा अपवर्जन श्रेणी बी के अन्तर्गत आता है।

मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा आपत्ति एक मामले में दो एससीएन के जारी करने तथा अधिनिर्णय से संबंधित थी।

इसका तात्पर्य यह है कि एससीएन को तैयार करने तथा जारी करने के संबंध में उचित निगरानी का अभाव था।



### 5.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि एससीएन की यात्रा, एससीएन जारी करने के प्रथम चरण के साथ से इसके अधिनिर्णय तक, देरियों तथा खामियों से भरी हुई है। प्रशासनिक कार्यक्षमता को आवश्यक है कि कार्य न्यूनतम संभव समय में किया जाए। अधिकतम समय सीमाएँ कार्यों की पूर्णता के लिए बाहरी सीमाओं को परिभाषित करती हैं। एससीएन जारी करने के लिए निर्धारित समय एक वर्ष, विशेष परिस्थितियों के लिए पांच वर्ष की विस्तारित अवधि के आह्वान के प्रावधान के साथ था। परन्तु इसकी बजाय यह देखा गया कि विस्तारित अवधि एक दुर्लभ अपवाद की बजाय एक नियमित प्रावधान के रूप में प्रयोग की जा रही थी। इस लिए सुनियोजित निगरानी के द्वारा एससीएन के जारी तथा निपटान की विभिन्न अवस्थाओं में देरियों को कम करने की आवश्यकता है, ताकि सरकारी राजस्व तथा निर्धारिती दोनों के लाभ सुरक्षित रहें।